कार्यकारी सार

प्रमुख बंदरगाहों पर भूमि प्रबंधन हेतु नीति दिशा–निर्देशों में स्पष्टता की सीमा का निर्धारण करने और यह देखने के लिए कि क्या सभी बंदरगाहों पर इनको लगातार और समान रूप से लागू किया गया है, के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। सभी बंदरगाहों पर दिशा–निर्देशों के कार्यान्वयन के ढंग की भी नमूना जांच की गई थी।

यद्यपि, 1995 में जारी किये गये दिशा–निर्देशों की समीक्षा की गई थी और संशोधित नीतियाँ 2004, 2010 और 2014 में जारी की गई थी, संशोधन केवल कुछ मामलों तक ही प्रतिबंधित थे, तथा उनमें 2014 के दिशा–निर्देशों सहित बंदरगाहों के लिए स्पष्ट निर्देशों का अभाव था।

(पैरा 2.1)

77191.14 एकड़ की कुल भूमि संपत्ति में से, कुल भूमि के 45.27 *प्रतिशत* को दर्शाते हुए 34943.41 एकड़ हेतु अधिकार–पत्र उपलब्ध नहीं थे। आगे की जांच से भी पता चला कि छः बंदरगाहों के पास 28816.08 एकड़ की भूमि संपत्ति हेतु अधिकार–पत्र नहीं थे, जबकि अन्य सात बंदरगाहों के पास उनके अधिकार के अंतर्गत केवल आंशिक भूमि हेतु अधिकार–पत्र थे।

(पैरा 3.1.4.1)

पारादीप पोर्ट ट्रस्ट (पीपीटी) ने 186.81 एकड़ भूमि हेतु अधिकार पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाये जो पुराने पट्टे धारी के पक्ष में अभिलिखित था।

(पैरा 3.1.3.1(ii))

भूमि संपत्ति को लेकर बंदरगाहों और संबंधित राज्य के राजस्व प्राधिकारियों द्वारा प्रबंधित अनुरक्षित अभिलेखों पर के बीच त्रुटियाँ पाई गई। इसी प्रकार, बंदरगाहों के विभिन्न विभागों द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों में भी त्रुटियां पाई गई।

(पैरा 3.1.4.2)

बंदरगाहों द्वारा अनुरक्षित अभिलेख अतिक्रमण की वास्तविक स्थिति दर्शाने के लिए सटीक और अद्यतित नहीं थे, और बंदरगाह प्रबंधनों ने अतिक्रमण हटाने और अपनी अभिरक्षा के अंतर्गत आने वाली भूमि पर फिर अधिकार लेने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। लेखापरीक्षा जांच में 12 बंदरगाहों में से नौ में 396.44 एकड़ भूमि के भूमि अनुभाजन को अतिक्रमण के रूप में पाया जबकि बंदरगाह ने 273.98 एकड़ भूमि के अतिक्रमण की सूचना दी थी।

(पैरा 3.2)

यद्यपि, मामला 30 वर्षों से अधिक पट्टा अवधि को बढ़ाने हेतु अनुमोदन के लिए मंत्रालय के पास उठाया गया था, बंदरगाह अनुमोदन प्राप्त करने में विफल रहे, जिसने यह दर्शाया कि बंदरगाहों की अनुवर्ती प्रणाली या तो प्रभावी नहीं थी या उपलब्ध नहीं थी। पांच बंदरगाहों में, 42 मामले देखे गये थे जिनमें पट्टे के नवीकरण हेतु अनुमोदन प्राप्त करने में एक से 31 वर्षों के बीच का विलम्ब था।

(पैरा 3.3.1)

पत्तनों द्वारा प्रस्तुत किये गये दर मापक्रम (एसओआर) के संशोधन हेतु टैरिफ प्रस्ताव के अनुमोदन में दो वर्ष और चार महीनें से 11 वर्ष और 10 महीने लगे। विलम्बित अनुमोदन हेतु मुख्य कारण या तो अपूर्ण प्रस्ताव या इन्हें मंत्रालय द्वारा जारी किये गये भूमि नीति दिशा–निर्देशों में दी गई प्रक्रिया के अनुरूप तैयार न किया जाना था। टैरिफ आथारिटी फार मेजर पोर्टस (टीएएमपी) से अनुमोदित एसओआर के अभाव के फलस्वरूप मौद्रिक प्रभाव निर्धारित नहीं किया जा सका। एक उदाहरणार्थ मामले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि केपीटी एसओआर के प्रस्तुतीकरण और अनुमोदन में विलम्ब के कारण ₹ 192.09 करोड़ के कुल दावे में से ₹ 132.55 करोड़ पट्टा किराया राशि की वसूली करने में सक्षम नहीं थी।

¼iSjk 3-4 ,o 3-4-1½

1995 और 2004 के नीति दिशा–निर्देशों में दर्शाया कि एसओआर को प्रत्येक पांच वर्षों में संशोधित किया जाना चाहिए और पट्टा समझौते में बंदरगाह का हित बचाने के लिए प्रासंगिक प्रावधान होने चाहिए। इसलिए, बंदरगाह के पट्टा समझौतों में एसओआर संशोधन और अन्य पहलुओं को जोड़ने के लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए। लेखापरीक्षा किये जाने के दौरान, समझौते में पट्टा किराया में संशोधन प्रावधान को न जोड़ने अनुज्ञेय क्षेत्र से बाहर व्यवसाय, दंडात्मक ब्याज की उगाही न करने और पट्टा क्षेत्र को उपपट्टे पर देने के मामले भी देखे गये थे।

¼iSjk 3-5½

2010 में जारी किये गये नीति दिशा–निर्देशों ने दर्शाया कि प्रशासकीय संशोधन उपायों में से एक के रूप में, बंदरगाहों को एक भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित सिस्टम में सारे भूमि प्रबंधन प्रणाली को कंप्यूटरीकृत किया जाना चाहिए। यद्यपि, कोचिन पोर्ट ट्रस्ट (सीओपीटी) को छोड़कर किसी भी बंदरगाह ने कंप्यूटरीकृत भूमि प्रबंधन करने की पहल नहीं की।

¼iSjk 3-6½

लेखापरीक्षा ने निष्पादन में सुधार करने और इस प्रतिवेदन में उजागर की गई कमियों को सुधारने के लिए मंत्रालय और बंदरगाहों द्वारा ध्यान में रखने और कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की।

1. एमपीटी अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के ध्यानार्थ प्रचलित दिशा–निर्देशों/नीतियों में बहुलता और दिशा–निर्देशों/नीतियों से बचने के लिए भूमि प्रबंधन से संबंधित सभी मुद्दों से निपटने के लिए विस्तृत नीति बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा दिशा–निर्देशों/नीतियों की समीक्षा की जानी चाहिए।

2. पिछली अवधि में किये गये आबंटन के संबंध में कस्टम बांड क्षेत्र के अंदर निर्मित स्थाई संरचनाओं के लिए जारी की गई 2014 नीति दिशा–निर्देश दोबारा देखे जा सकते हैं ताकि प्रस्तावित तंत्र में निहित बाधाऐं समाप्त हो जाये।

3. भूमि आबंटन और मिश्रित गतिविधियों के संबंध में सभी जटिल शब्दों और वाक्याशों को परिभाषित किया जा सकता है ताकि उन पर अलग अलग बंदरगाहों द्वारा असंगत उपचार से बचा जा सके।

4. ऐसे मामलों में जहां मंत्रालय द्वारा अनुमोदन आवश्यक था, में बंदरगाहों को कुछ विशेष शक्तियों के प्रत्यायोजन से अपेक्षित समय को कम करने हेतु प्रबंध किया जा सकता है।

5. मंत्रालय द्वारा अलग–अलग बंदरगाहों के भूमि प्रबंधन निर्णयों और गतिविधियों की कम से कम अर्धवार्षिक समीक्षा के लिए एक समीक्षा तंत्र बनाया जा सकता है जो की प्रचलन में नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में सहायता करेगा।

6. इसी प्रकार, संबंधित बोर्ड को भूमि नीति दिशा–निर्देशों के अनुपालन में भूमि प्रबंधन प्रक्रिया और प्रसंस्करणों की रिपोर्ट स्थिति की रिपोर्ट देने के उद्देश्य हेतु बंदरगाहों में एक संरचित तिमाही समीक्षा को आरंभ किया जा सकता है।